न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 139/18 निर्णय दिनांकः–04-03-2024
(जीसीएमएस संख्या 2018/00208)

1. अकबर खॉ पुत्र नबीबक्श जाति मुसलमान निवासी डेरिया तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. सुमनकंवर पुत्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी बरसलपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26–02–2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितिः–
1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 26–02–2018 जिसके द्वारा अपीलांट की रिमाण्ड पत्रावली पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 5 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 50/47 तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन हेतु अपीलांट् व अन्य काश्तकारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये थे। उक्त आवंटनों पर वादग्रस्त भूमि की पात्रता अन्य आवेदक रामसुख पुत्र भंवरलाल की प्रथम वरीयता मानते हुए आराजी जैर का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के विरूद्व अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जोकि दिनांक 13–06–2014 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था कि वे प्रकरण में अपीलांट् व अन्य आवेदकों की वरियता के संबंध में पुनः जॉच करते हुए व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त निर्णय पारित करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के रिमाण्ड प्रकरण में अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा तौर पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। जबकि अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि पर अपीलांट की वरियता रही है तथा उक्त तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए ही अपीलांट् की अपील को स्वीकार किया गया था। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होन से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट् को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1977 पेज 313, आरबीजे 2006 पेज 731, आरआरसी 1998 पेज 331, आरआरडी 1991 पेज 155, आरआरडी 1994 पेज 175, आरआरटी 2014–15 स्प. पेज 68 व आरआरडी 2014 पेज 715 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट्, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य आवेदकों के आवेदन होने पर उक्त भूमि का आवंटन रामसुख पुत्र भंवरलाल को किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपीलों को दिनांक 13–06–2014 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पूर्ववर्ती आवंटन को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि वे सभी पात्र व्यक्तियों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करने के निर्देशों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करते हुए सभी पात्र व्यक्तियों को नोटिस जारी किये गये। अपीलांट् के अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का पात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मानते हुए आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त किये जाने व उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होने के आधार पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट् को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–02–2018 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 05–04–2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन, अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में वादग्रस्त भूमि चक 5 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 50/47 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट सहित कुल 9 आवेदन प्रस्तुत होने पर उक्त भूमि का आवंटन रामसुख पुत्र भंवरलाल को होने पर अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट दोनों के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 13–06–2014 को अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पूर्ववर्ती आवंटन दिनांक 19–02–2010 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट की वरियता के संबंध में पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर आवंटन नियमों के अनुरूप भूमि का नियमानुसार आवंटन करने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये गये।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में उच्चतर न्यायालय के रिमाण्ड आदेशों के निर्देशों के अनुसार पत्रावली को पेशी पर लिया जाकर अपीलांट व अन्य काश्तकार को नोटिस दिनांक 29–12–2017 जारी किया जाना पत्रावली से साबित है। उक्त नोटिस जारी करते हुए अपीलांट् को दिनांक 12–01–2018 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त नोटिस अपीलांट् पर विधिवत तामील हुए है अथवा नहीं? इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रजिस्टर्ड एडी रसीद अथवा भारतीय डाक सेवा की ट्रेक रिपोर्ट आदि सम्मिलित नहीं है। जिससे यह साबित हो सके कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की विधिवत तामील अपीलांट् पर हो चुकी थी अथवा नहीं?

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु पूर्व से ही अपीलांट् का प्रार्थना पत्र व उच्चतर न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अपीलांट् के आवंटन प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जाना जैरकार रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के आवंटन की अनदेखी करते हुए आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट् के पक्ष में किया जाना जाहिर होता है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1977 पेज 313 में अभिलिखित किया गया है कि:–SDO has no authority to go beyond remand order – SDO held acted

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

contravention of remand order., इसी प्रकार आरआरटी 2014–15 स्प. पेज 68 में अभिलिखित किया गया है किः–Order passed without porper service of the notice is illegal.

प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उच्चतर न्यायालय के रिमाण्ड आदेशों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है तथा अपीलांट् जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षणा हेतु वर्ष 2007 से चाराजोई की जा रही है, को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्व तरीके से किया गया है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–02–2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन के संबंध में पुनः विधि सम्मत् की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 4/3/24 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर